CNR NO.-UPSH010009482026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम, कक्ष संख्या–23, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–470/2026

श्रीमती गीता देवी आयु 51 वर्ष पत्नी भगवानदास
निवासी ग्राम अकर्रा रसूलपुर, थाना कांट, जिला शाहजहांपुर।

––––– प्रार्थिनी/अभियुक्ता ।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। ––––– अभियोजन।

मु0अ0सं0–473/2025
धारा–80(2),85 बी0एन0एस0 एवं 3/4 डी0पी0एक्ट
थाना–कांट, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांकः 23.03.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता भगवानदास की ओर से शपथी/पैरोकार अहिबरन लाल द्वारा मु0अ0सं0–473/2025, धारा–80(2),85 बी0एन0एस0 एवं 3/4 डी0पी0एक्ट, थाना कांट, ज़िला शाहजहाँपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अहिबरन लाल का शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त/आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थिनी निर्दोष है। प्रार्थिनी को उक्त मुकदमें में वादी द्वारा पुलिस से द्वेषवश तथ्यों संदेहास्पद रूप से साठ कर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी द्वारा मृतक को सदैव लाड–प्यार से रखा गया तथा कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही मृतक को प्रताडित किया है। प्रार्थिनी करीब 51 वर्षीय महिला है तथा सांस की मरीज है जिसका इलाज चल रहा है। प्रार्थिनी के पुत्र शिवम का स्वस्थ्य ठीक नहीं रहता था तथा जिस कारण इलाज होने के दौरान मृतका अवसाद में रहने लगी थी तथा मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी जिसको कई बार प्रार्थिनी व उसके परिवार द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। चिकित्सीय रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में संलग्न है। वर्तमान में भी शिवम का इलाज मेडिसिटी हास्पिटल बरेली में चल रहा है। मृतक ने मानसिक अवसाद से ग्रसित रहने के पश्चात स्वयं आत्महत्या कर ली है। प्रार्थिनी या किसी भी परिवार के अन्य सदस्य द्वारा कभी भी अतिरिक्त दहेज की न तो मांग की है तथा न ही किसी अन्य प्रकार से प्रताडित किया वादी का कथन निराधार व असत्य है। प्रार्थिनी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है तथा न ही पूर्व में सजायाफता है। प्रार्थिनी के पलायन करने साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थिनी माननीय न्यायालय की शर्तो का नियमित पालन करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थिनी को जमानत पर छोडे जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

Digitally signed by Krishn Lila Yadav
Date: 2026.03.31 10:47:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपनी बहन की शादी दि0–10.07.2024 को शिवम से की थी। प्रार्थी ने अपनी सामर्थ के अनुसार लगभग 08 लाख रूपये खर्च किये थे। परन्तु दिये गये दान दहेज से उपरोक्त लोग संतुष्ट नहीं हुए और अतिरिक्त दहेज में मोटरसाईकिल व 50 हजार रू0 व्यापार करने के लिए मांग रहे थे, परन्तु प्रार्थी ने असमर्थता जताई जो दि0–07.11.2025 के प्रार्थी की बहन के अतिरिक्त दहेज के कारण शिवम आदि लोगों ने प्रार्थी की बहन हत्या कर फंदे लटका दिया है। प्रार्थी को सूचना गांव वालों ने दी प्रार्थी घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि प्रार्थी की बहन हत्या कर बरामदा में लटका दिया है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विवेचना के दौरान साक्षियों ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्ता गीता देवी व अन्य ससुरालीजन ने मृतका से दहेज में एक मोटरसाईकिल व पचास हजार रू0 की अतिरिक्त मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा मांग पूरी न होने पर दहेज मृत्यु कारित कर दी गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर गर्दन पर लिग्रेचर मार्क, जगह–जगह पर कन्टयूजन व अब्रेजन की चोटें पायी गयी हैं एवं मृत्यु का कारण Asphyxia Due to Antimortem Hanging दर्शाया गया है। अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्ता मृतका की सास है। अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–80(2),85 बी0एन0एस0 एवं 3/4 डी0पी0एक्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता दि0–02.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा विवाह के सात वर्ष के अन्दर अभियुक्ता के घर में होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी/अभियुक्ता के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर राय व्यक्त किये बिना प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–470/2026, मु0अ0सं0–473/2025, धारा–80(2),85 बी0एन0एस0 एवं 3/4 डी0पी0एक्ट, थाना कांट, ज़िला शाहजहाँपुर निरस्त किया जाता है।

आदेश की साफ्ट कापी जरिये ई–मेल जिला कारागार भेजी जाये।

दिनांक–23.03.2026

(कृष्ण लीला यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम,
कक्ष सं0 23, शाहजहॉपुर।
आई0डी0नं0–यू0पी0–2724